



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./ 5309/2021

दिनांक : 11/10/2021

सेवा में,

1. समस्त डीन/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, परिसर, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषय :- आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

• कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर के पत्रांक-304/जि0वि0से0 प्रा0/2021 (अमृत महोत्सव) दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में है।

उक्त पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 14 नवम्बर, 2021 तक अमृत महोत्सव में निर्धारित विषयों पर अपने विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन समस्त सम्बन्धियों के द्वारा कराया जाये जिससे अमृत महोत्सव की मूल भावना व मूल उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

अतः उपरोक्त के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त डीन, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
6. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव जी।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव

Mr. Starb/puc

10/10



कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर।

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)



सेवा में,

समस्त प्राधानाचार्य,
विधि विद्यालय, कानपुर नगर।

1864/VCC
07.10.2021

पत्रांक- 207 /जि0 वि0 से0 प्रा0/2021 (अमृत महोत्सव) दिनांक- 02-10-2021
विषय- आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक- 02 अक्टूबर 2021 से दिनांक 14 नवम्बर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव समान्यजन को विधिक रूप से विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित होना है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि अमृत महोत्सव में निर्धारित विषयों पर अपने विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन समस्त सम्बन्धियों के द्वारा कराये जाने का कष्ट करें जिससे कि अमृत महोत्सव की मूल भावना व मूल उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

सादर।

दिनांक- 02/10/2021

भवदीय

Registered

(श्रद्धा त्रिपाठी)

प्रभारी सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/

सिविल जज (सी0 डि0), कानपुर नगर।

प्रतिलिपि-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान कुलपति महोदय, सी0 एस 0 जे0 एम 0 विश्वविद्यालय, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AR (Admin)
lf
07-10-21

07/10/2021
(प्रभारी सचिव)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/

सिविल जज (सी0 डि0), कानपुर नगर।